देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/19 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 23 अप्रैल 2022

भूमाफियाओं द्वारा एक बार फिर से बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!

"कमला रेजीडेंसी"

भाग-3

महज दो महीने पहले ही जेडीए प्रवर्तन द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए, इस अवैध कॉलोनी को लिया था ध्वस्त!!

सबसे बड़ा सवाल?

बिना जेडीए की प्रवर्तन शाखा से मिलीभगत के क्या यह संभव है?

राजस्व गाँव जयसिंहपूरा,तहसील सांगानेर,जयपुर के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा सरकारी और कृषि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी का मामला एक बार फिर सुर्खियों मे!!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन 11 मे स्थित राजस्व गाँव जयसिंहपुरा,तहसील सांगानेर,जयपुर के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा पर स्थित सरकारी जमीन और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की कृषि भूमि पर बसायी जा रही थी अवैध कॉलोनी "कमला रेजीडेंसी"

जैसा कि आपको इस प्रकरण के पहले अंको मे बताया गया था कि जेडीए के ज़ोन 11 मे स्थित राजस्व गाँव जयसिंहपुरा,तहसील सांगानेर,जयपुर के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा पर स्थित सरकारी जमीन और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी "कमला रेजीडेंसी" बसायी जा रही है|साथ ही इस बात का भी खुलासा किया गया था कि इस 9 बीघा 14 बिस्वा पर बदनपुरा(फकीरो की डूंगरी)गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के आज की तारीख के प्रोविजनल अलोटमेंट लैटर वितरित किए जा रहे है,जो कि अवैध एवं गैर-कानूनी है|

इस अवैध कॉलोनी मे करीब 150 से अधिक प्लॉट काट कर सैंकड़ों मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की जीवन भर की जमा-पूंजी हड़प कर लेने का प्रकरण हमारे द्वारा जेडीए के संज्ञान मे लाया गया था|

दो महीने पहले जेडीए द्वारा ध्वस्त की गयी थी अवैध कॉलोनी कमला रेजीडेंसी

इस प्रकरण मे जेडीए द्वारा दिनांक 04/02/2022 को कार्यवाही करते हुए बताया गया था कि इस अवैध कॉलोनी कमला रेजीडेंसी को कुछ भूमाफियाओ द्वारा बिना भूरूपान्तरण कराये अवैध रूप से बसाया जा रहा था,जेडीए प्रवर्तन द्वारा जेसीबी और मजदूरो की सहायता से इस भूमि पर बनी ग्रेवल सड़कों,बाउंड्रीवाल,और अन्य अवैध निर्माणों को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया गया है|

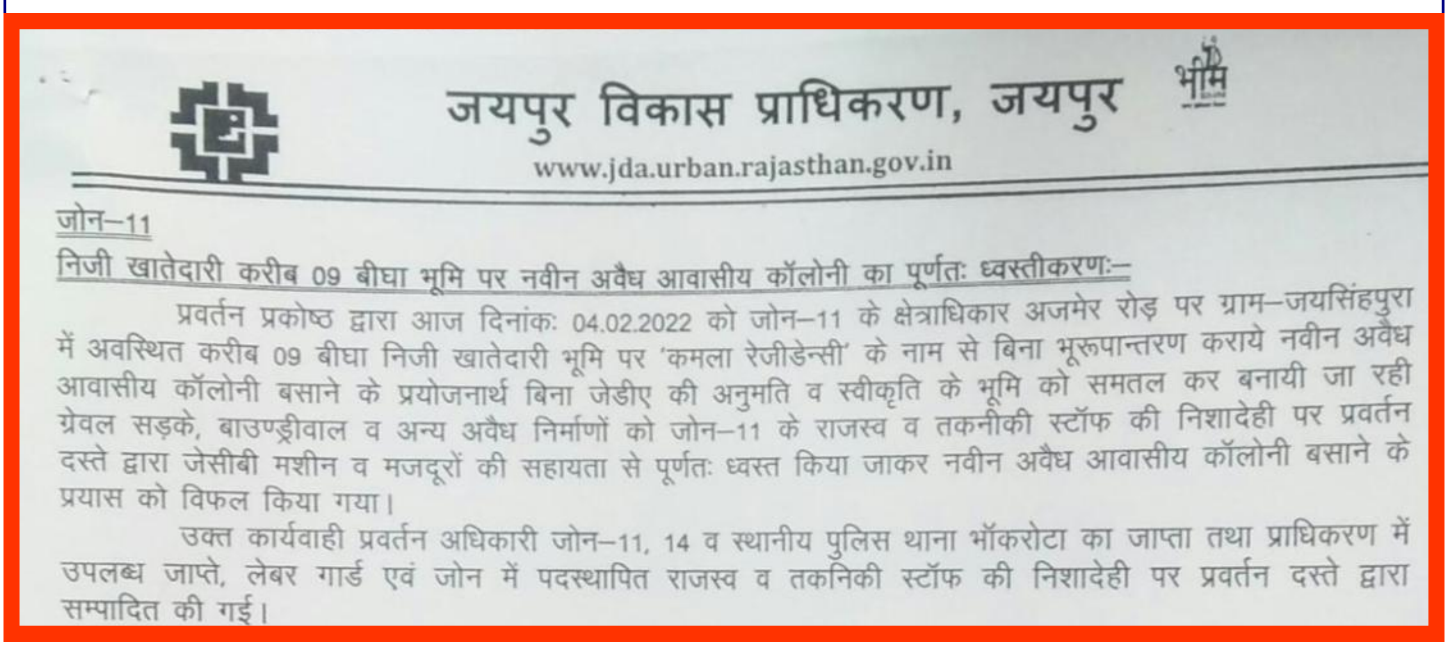

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जोन–11

निजी खातेदारी करीब 09 बीघा भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी का पूर्णतः ध्वस्तीकरणः–

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 04.02.2022 को जोन–11 के क्षेत्राधिकार अजमेर रोड़ पर ग्राम–जयसिंहपुरा में अवस्थित करीब 09 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर 'कमला रेजीडेन्सी' के नाम से बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों को जोन–11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन–11, 14 व स्थानीय पुलिस थाना भॉकरोटा का जाप्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

भूमाफियाओं द्वारा एक बार फिर से बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!कमला रेजीडेंसी

स्थानीय सूत्रो के द्वारा पुष्टि की गयी है कि भूमाफियाओ द्वारा जेडीए की कार्यवाही के महज 2 महीने के बाद ही इस अवैध कॉलोनी को पुनः बसाने की तैयारियां शुरू कर दी गयी है|इस बार भूमाफियाओ द्वारा अंदर ही अंदर काम चलाया जा रहा है और मौके पर 5-7 नए भवनो का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है|

प्रत्यक्षदर्शियों का तो यह भी कहना है कि मौके पर कई बार जेडीए के सरकारी वाहन को भी देखा गया है और इस बार तो भूमाफिया द्वारा छाती ठोककर यह दावा किया जा रहा है कि उसने जेडीए मे पूरी सेटिंग कर ली है,जेडीए वाले इस कॉलोनी की तरफ भूलकर भी कभी नहीं आएंगे|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो एक बार जेडीए द्वारा की गयी कार्यवाही के बावजूद इस अवैध कॉलोनी को बसाने का पुनः प्रयास कर रहा है?

2. क्या महज दो महीने मे भूमाफिया द्वारा इस अवैध कॉलोनी को जेडीए से अनुमोदित करवा लिया गया है?

3. क्या इस अवैध कॉलोनी का पुनः निर्माण बिना जेडीए प्रवर्तन की स्वीकृति के संभव है?

4. जेडीए का कौन अधिकारी इस अवैध कॉलोनी को बसाने मे भूमाफिया की पीछे से मदद कर रहा है?

5. अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?

6. कौन है बदनपुरा(फकीरो की डूंगरी)गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के कर्ता-धर्ता?अब तक जमीनो की धोखाधड़ी के कितने मामले दर्ज है इन लोगो के खिलाफ?क्या इनके द्वारा बांटे जा रहे पट्टे वैध है?

7. अब तक कमला रेजीडेंसी मे कितने प्लॉट बेचे जा चुके है?क्या इस अवैध कॉलोनी मे भूखंड खरीदने वाले भूखंडधारियों को इस कॉलोनी के अवैध होने की बात मालूम है?

8. यदि अब जेडीए इस अवैध कॉलोनी पर पुनः कार्यवाही करता है तो इन ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी का जिम्मेदार कौन होगा?

9. कौन है जेडीए के इस ज़ोन-11 के प्रवर्तन अधिकारी?क्या उन्हे इस अवैध कॉलोनी के पुनः बसने के बारे मे जानकारी है?

10. क्या जेडीए के इस ज़ोन – 11 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध कॉलोनी को बसाने के जिम्मेदार नहीं है?

11. इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई?उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

12. आखिर जेडीए द्वारा संबन्धित भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज क्यूँ नहीं करवाया गया?

13. आखिर क्यूँ जेडीए द्वारा इस खातेदार की खातेदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही अमल मे नहीं लायी गयी?

अवैध कॉलोनियों के निर्माण भी ढहाए

नींदड़ रोड...निर्माणाधीन 13 अवैध दुकानें ध्वस्त

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जेडीए ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए नीदड़ रोड पर निर्माणाधीन 13 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ग्राम बोयतावाला में बिना जेडीए की अनुमति के व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। 25 दिसम्बर को भी कार्रवाई कर इनको ध्वस्त किया गया था। मौका पाकर फिर निर्माण शुरू कर दिया। इसके अलावा जोन-13 के चौमूं में चंदा रिसोर्ट के पास सात निर्माणाधीन दुकानों को सील कर दिया। 18 दिसम्बर को नोटिस देकर निर्माण कार्य रोकने और अवैध निर्माण हटाने के जेडीए ने निर्देश दिए थे, लेकिन निर्माण नहीं हटाया। उसके बाद जेडीए ने इसको सील कर दिया। यहां कार्रवाई के दौरान टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि, थाना पुलिस ने लोगों को हटाया।

अजमेर रोड स्थित ग्राम-जयसिंहपुरा में नौ बीघा निजी खातेदारी भूमि पर कमला रेजीडेन्सी और डिग्गी रोर पर नौ बीघा में ही हरिहन्त विहार के नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण टीम ने ढहाए।